Section 10 : Crediting proceeds of cess to Fund

(1) The proceeds of the cess leviable under section 8 and such other amounts as may be recommended by the Council, shall be credited to a non-lapsable Fund known as the Goods and Services Tax Compensation Fund, which shall form part of the public account of India and shall be utilised for purposes specified in the said section.

(2) All amounts payable to the States under section 7 shall be paid out of the Fund.

(3) Fifty per cent. of the amount remaining unutilised in the Fund at the end of the transition period shall be transferred to the Consolidated Fund of India as the share of Centre, and the balance fifty per cent. shall be distributed amongst the States in the ratio of their total revenues from the State tax or the Union territory goods and services tax, as the case may be, in the last year of the transition period.

[1]**[(3A)** Notwithstanding anything contained in sub-section (3), fifty per cent. of such amount, as may be recommended by the Council, which remains unutilised in the Fund, at any point of time in any financial year during the transition period shall be transferred to the Consolidated Fund of India as the share of Centre, and the balance fifty per cent. shall be distributed amongst the States in the ratio of their base year revenue determined in accordance with the provisions of section 5:

Provided that in case of shortfall in the amount collected in the Fund against the requirement of compensation to be released under section 7 for any two months' period, fifty per cent. of the same, but not exceeding the total amount transferred to the Centre and the States as recommended by the Council, shall be recovered from the Centre and the balance fifty per cent. from the States in the ratio of their base year revenue determined in accordance with the provisions of section 5.**]**

(4) The accounts relating to Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him at such intervals as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Central Government to the Comptroller and Auditor-General of India.

(5) The accounts of the Fund, as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be laid before each House of Parliament.

---

1 Sub-section 3A inserted by Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2018 (34 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 1/2019-GST Compensation, dt. 29-01-2019.

धारा 10 : उपकर के आगमों का निधि में जमा करना

(1) धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के आगम और ऐसी अन्य रकम, जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर–व्यपगतीय निधि में जमा किए जाएंगे जो भारतीय लोक लेखा का भाग होंगे, और उनका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(2) धारा 7 के अधीन राज्यों को संदेय समस्त रकम, निधि में से संदत्त की जाएगी।

(3) संक्रमण अवधि की समाप्ति पर निधि में शेष बचे अनुपयोजित पचास प्रतिशत रकम केन्द्र के हिस्से के रूप में भारत की संचित निधि में अन्तरित की दी जाएगी और अतिशेष पचास प्रतिशत, संक्रमण अवधि के अन्तिम वर्ष में, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से राज्यों के कुल राजस्व के अनुपात में उनके बीच वितरित की जाएगी।

[1][(3क)] उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में शेष बची अनुपयोजित है, पच्चास प्रतिशत्, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केन्द्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत् का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगाः

परन्तु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन निर्मुक्त किए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत्, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केन्द्र से और शेष पचास प्रतिशत् राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा।

(4) निधि से सम्बन्धित लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(5) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

---

1 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) द्वारा उपधारा (3क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर), दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।